ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा० वि० वाद / रे० मि० केस सं०–06 / 2020–21

नकुल तांती बनाम् वकील तांती वगै०

08.10.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक नकुल तांती, पे०–स्व० बालेश्वर तांती, साकिन–बलबड्डा, थाना–बलबड्डा अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा बलबड्डा नं०–355, खाता सं०–88, दाग नं०–315 कुल रकवा–00–00–10 धूर भूमि पर विपक्षी वकील तांती, पे०–स्व० अर्जुन तांती व राजो देवी, पति–वकील तांती व संतोष कुमार, पे०–वकील तांती, सभी साकिन–बलबड्डा, थाना–बलबड्डा से दखल दिहानी को लेकर प्रारंभ किया गया। उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–284 / रा० दिनांक–05.04.2021 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद आपसी बँटवारा से संबंधित है, जिसके लिए यह सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

08.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

08.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen 10/10/22

Seen 02/11/22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:04:06 +05:30
Location: 192.168.8.115